

भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-1353
उत्तर देने की तारीख-28/07/2025

उत्कृष्ट संस्थान योजना

†1353. श्री जी. कुमार नायक:

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) उत्कृष्ट संस्थान (आईओई) योजना के लिए आवेदन करने वाले विश्वविद्यालयों की कुल संख्या कितनी है;
- (ख) वर्तमान में समीक्षाधीन ऐसे आवेदनों की कुल संख्या कितनी है;
- (ग) उत्कृष्ट संस्थान योजना के अंतर्गत ग्रीनफील्ड विश्वविद्यालयों या संस्थानों से प्राप्त आवेदनों की कुल संख्या कितनी है;
- (घ) उत्कृष्ट संस्थान योजना के लिए चयनित ग्रीनफील्ड संस्थानों की कुल संख्या और उनकी वर्तमान स्थिति क्या है; और
- (ङ) उत्कृष्ट संस्थान के रूप में नामित सरकारी और निजी विश्वविद्यालयों को प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता या अन्य संसाधनों सहित किस प्रकार की सहायता प्रदान की जाती है, साथ ही इन संसाधनों के प्रभावी उपयोग और योजना के अंतर्गत अपेक्षित उत्कृष्टता के उच्च मानकों की प्राप्ति सुनिश्चित करने की लिए जवाबदेही तंत्र का व्यौरा क्या हैं?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री

(डॉ. सुकान्त मजूमदार)

(क) से (घ): विश्व स्तरीय संस्थान योजना, जिसे उत्कृष्ट संस्थान (आईओई) योजना के रूप में भी जाना जाता है, वर्ष 2017 में शैक्षणिक, प्रशासनिक और वित्तीय मामलों में अधिक स्वायत्तता के साथ संस्थानों की एक विशिष्ट श्रेणी बनाने के लिए शुरू की गई थी ताकि वे एक निर्धारित समयावधि में विश्व-स्तरीय शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थानों के रूप में उभर सकें। उत्कृष्ट संस्थान योजना के अंतर्गत, भारत में उच्चतर शिक्षा संस्थाओं से कुल 114 आवेदन प्राप्त हुए थे और उन पर कार्रवाई की गई थी। इनमें ग्रीनफील्ड संस्थानों से प्राप्त ग्यारह आवेदन शामिल थे। ग्रीनफील्ड श्रेणी के दो संस्थानों की सिफारिश की गई थी, जिनमें से एक संस्थान के प्रायोजक संगठन ने बाद के चरण में अपना आवेदन वापस ले लिया था।

(ङ) यूजीसी ने उत्कृष्ट संस्थानों (आईओई) के रूप में यथा अधिसूचित संस्थानों के लिए एक नियामक ढांचा/ फ्रेमवर्क लागू किया है, जिसमें सार्वजनिक संस्थानों के लिए दिशा-निर्देश और निजी संस्थानों के लिए विनियम शामिल हैं। यह फ्रेमवर्क शैक्षणिक स्वतंत्रता, भर्ती, शुल्क संरचना, सहकार्यता आदि जैसे प्रमुख क्षेत्रों में स्वायत्तता प्रदान करता है। इस योजना के अंतर्गत सार्वजनिक उत्कृष्ट संस्थानों (आईओई) को प्रति संस्थान 1000 करोड़ रुपये तक की वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाती है।
